न्यायिक प्रकरण

संख्या–वि॰ 37 / xxiv–4 / 2010–3(7) / 2010

प्रेषक,

श्रीमती मनीषा पंवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 04 जून, 2010

विषयः–विशेष अपील संख्या–151 / 2006 'उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम सत्यबहार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15–12–2009 का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–विधि प्रकोष्ठ–1 / 84881 / 2009–10, दिनांक 16 फरवरी, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में पारित आदेश दिनांक 15–12–2009 के अनुपालन में याची को वेतन भुगतान हेतु याची को कुल रू0 2,50,254.00 / – (रू0 दो लाख पचास हजार दो सो चव्वन मात्र) तथा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा लगाये गये अर्थ दण्ड की धनराशि रू0 10,000 / – (रू0 दस हजार मात्र) इस प्रकार कुल रू0 2,60,254.00 / – (रू0 दो लाख साठ हजार दो सौ चव्वन मात्र) की धनराशि हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष होने वाल व्यय संलग्न में उल्लिखित सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा। अनुदान संख्या–07 के अर्न्तगत स्वीकृत की जा रही धनराशि पूर्व में ही निदेशक, लेखा हकदारी के निर्वतन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष आहरित / व्यय की जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 सं0–88(NP) X X V II(3) / 2010–11, दिनांक 04 जून ,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

संलग्नकः उपर्युक्त।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव।

....2

संख्याःशि-३१ (1)/xxiv–4/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
5. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य।
6. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0 साह)
उप सचिव।

संख्या–वित्त-31/xxiv–4/2010, का संलग्नक।

1–	राजस्व पक्ष	धनराशि
11–	अनुदान संख्या	
2202–	आयोजनेत्तर लेखाशीर्षक	
02–	सामान्य शिक्षा	
110–	माध्यमिक शिक्षा–110	
03–	गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता गैर सरकारीमाध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान	
0301–	अर्वतक अनुदान	
43–	वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के अर्न्तगत	(रू0 दो लाख पचास हजार दो सौ चव्वन मात्र) रू0 2,50,254/–

2–	राजस्व पक्ष	धनराशि
07–	अनुदान संख्या	
2052–	लेखाशीर्षक	
00–	सचिवालय–सामान्य सेवायें (आयोजनेत्तर)	
800–	अन्य व्यय	
06–	मा0 न्यायालयों द्वारा की गयी डिक्री से सम्बन्धित धनराशि के अर्न्तगत मानक मद	
42–	अन्य व्यय (भारित)	(रू0 दस हजार मात्र) रू0 10,000/–

(पी0एल0 साह)
उप सचिव।